न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 154/2020

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. बाबूराम पुत्र स्व0 राधाकिशन जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर ।
2. विनोद कुमार पुत्र स्व0 राधाकिशन जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर।
3. दीनदयाल पुत्र स्व0 राधाकिशन जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर ।
4. हेमेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 राधाकिशन जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर।
5. सुनील कुमार पुत्र स्व0 राधाकिशन जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर।

— वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र स्व0 रामेश्वरदास जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
2. पोकरमल पुत्र स्व० रामेश्वरदास जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
3. अर्जुनलाल पुत्र स्व0 रामेश्वरदास जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
4. केदारनाथ पुत्र स्व0 रामेश्वरदास जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामेश्वरदास जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर।
6. प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 रामेश्वरदास जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ।
7. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हनुमानदास जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
8. नरेन्द्र कुमार पुत्र हनुमानदास जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
9. श्रीमती धापी देवी पत्नी स्व0 लच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ।
10. रवि कुमार पुत्र स्व0 लच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
11. महेश कुमार पुत्र स्व0 लच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
12. राकेश कुमार पुत्र स्व0 लच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

13. बालमुकन्द पुत्र स्व0 लच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ।

14. विनय कुमार पुत्र स्व० लच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

15. नरेश बडोपलिया पुत्र हरीराम जाति महाजन निवासी 82 सी ब्लॉक, श्री गंगानगर।

16. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी (वादीगण)
अधिवक्ता श्री पूर्णराम घोडेला (प्रतिवादी–1 ता 15)
पैरोकार राज (प्रति.–16)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.02.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीगण उपरोक्त पते के स्थाई निवासीयान है तथा उनका पेशा काश्तकारी है एवं जीवन निर्वाह का साधन खेती आय है। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 14 एक ही वंश के है, कालांतर में पूर्वज एक साथ रहते थे, परिवार बढ जाने से अलग अलग रहने लग गये। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 15 के नाम से निम्नलिखित कषि भूमि विभिन्न खातों में खातेदारी दर्ज है मगर काश्त की सविधा आदि को देखते हुए अरसा दराज पूर्व मौखिक पारिवारिक समझौता द्वारा भूमि अलग अलग काश्त करने लग गये तथा वर्तमान में अलग अलग काश्त करते आ रहे हैं। पक्षकारान ने काश्त की सुविधा के लिए पारिवारिक समझौता के द्वारा सहमति से विभाजन कर निम्न प्रकार से काबिज चले आ रहे है–

चक सं०	खाता सं0	मु0न0	रकबा का विवरण	किसके नाम दर्ज है
3 ए छोटी	68/83	23	किला न0 25/2	दीनदयाल, धापी, बाबूराम, बालमुकन्द आदि
		22	किला नं. 23 का .126 हैक. व किला नं. 24 का 0.063 हैक.	
3 ए छोटी	67/82	23	किला न0 8,9,12,19,22	दीनदयाल, बाबूराम, विनोद कुमार आदि
3 ए छोटी	55/62	23	किला न0 1 ता 5, 10,11,20,21,25/1, मु.नं.22 के किला नं.24 का .190 हैक. किला नं. 25	अर्जुनलाल, केदारनाथ आदि
3ए छोटी	53/58	22,23	किला न0 1/2 6,15,16,17,24	धापी देवी, बालमुकंद आदि
3 ए छोटी	125/122	22	किला न0 22,23	सुरेन्द्र कुमार
3 ए छोटी	138/129	23	किला न0 13,14,18,23	नरेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार
3 ए छोटी	52/59	22	किला न0 21,22	धापी देवी

(1) वादीगण के कब्जा काश्त की भूमिः
चक 3 ए छोटी के मु0 न0 23 के किला न0 21 से 25
(2) प्रतिवादीगण 1 ता 6 के कब्जा काश्त की भूमिः
चक 3 ए छोटी के मु0 न0 23 के किला न0 11 से 15
(3) प्रतिवादीगण 7 व 8 के कब्जा काश्त की भूमिः
चक 3 ए छोटी के मु0 न0 23 के किला न0 16 से 20
(4) प्रतिवादी सं0 9 ता 14 के कब्जा काश्त की भूमिः
चक 3 ए छोटी के मु0 न0 22 के किला न0 21 से 25
(6) प्रतिवादी सं0 15 के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमिः
चक 3 ए छोटी के मु0 न0 23 के किला न0 1 से 5

इस प्रकार जिस पक्षकार के कब्जा में जो भूमि चली आ रही है, उसका वही मामला लगान अदा कर रहा है तथा बारी पानी आदि का उपयोग कर रहा है तथा सुधार कर काबिल काश्त बनायी गई है मगर राजस्व रिकॉर्ड में भूमि कब्जा काश्त के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

दर्ज ना होने से भविष्य में सुधार कार्य करने में बाधा पैदा हो रही है, अतः पारिवारिक समझौता के अनुसार जिस पक्षकार के कब्जा में जो भूमि चली आ रही है, उसका खातेदार काश्तदार दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। वादीगण के नाम जो भूमि चली आ रही है वह राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उसी अनुसार दर्ज ना होने से वादीगण को सुधार कार्य करवाने में भारी बाधा पैदा हो रही है, अतः वादीगण के लिए दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। 6. यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया कि वह वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि चक 3 ए छोटी के चक 3 ए छोटी के मु0 न0 23 के किला न0 21 से 25 का उनको खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाये तथा उनके कब्जा काश्त में मदाखलत करने, किसी को रहन बैय मुंतकिल करने से बाज व ममनु रहे मगर प्रतिवादीगण के मन में अब गलत लालच आ जाने के कारण टालमटोल करते हुए दिनांक 27.09.20 को साफ इंकारी है जो कि यही बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान् न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पार में स्थित है, अतः वाद वादीगण काबिल समाअत अदालतवाला है, अतः तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के पेश किया जा रहा है। वादीगण द्वारा वाद पेश कर निम्न प्रकार से वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया :–

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावें कि वादीगण वाद पत्र की चरण सं0 3 में दर्ज भूमि में से वाद पत्र की चरण सं0 4 में दर्ज भूमि का उनको खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम से चक 3 ए छोटी के मु0 न0 23 के किला न0 21 से 25 की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने, मामला लगान वादीगण के नाम कायम करने का आदेश फरमाया जावें।

(ख) डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावें कि प्रतिवादीगण 1 ता 15 वादीगण के कब्जा काश्त की चक 3 ए छोटी के मु0 न0 23 के किला न0 21 से 25 में वादीगण के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से मदाखलत करने, किसी को रहन बैय मुंतकिल करने से बाज व ममनु रहे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावें।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो वह भी प्रदान किया जावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 द्वारा दिनांक 09.11.2020 को आपसी सहमति के आधार पर ईकबाल जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार पारिवारिक समझौता में सहमति से किये गये विभाजन अनुसार चक 3 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 21 ता 25 वादीगण के हिस्से में आयी जिसपर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है तथा मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 11 ता 15 प्रतिवादीगण 1 ता 6 के हिस्से में आई, मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 16 से 20 प्रतिवादीगण सं. 7 व 8 के हिस्से में आयी, मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 21 से 25

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण स. 9 ता 1 4 के हिस्से में आयी तथा मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 1 से 5 प्रतिवादी सं. 15 के हिस्से में आयी । सभी प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से में आयी कृषि भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। लिहाजा ईकबालदावा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 15 की ओर से पेश करके निवेदन है कि वादीगण द्वारा वाद में चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही पारिवारिक समझौता के द्वारा सहमति से किये गये विभाजन अनुसार प्रतिवादीगण के हिस्स व कब्जा काश्त की कृषि भूमि (जिसका विवरण ईकबालदावा के पैरा सं. 3 में अंकित है) का राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम अमल दरामद किया जावे ।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 3ए छोटी, पटवार हल्का रामनगर भू.अ.नि. क्षेत्र रामनगर खाता संख्या 67/82, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 3ए छोटी, पटवार हल्का रामनगर भू.अ.नि. क्षेत्र रामनगर खाता संख्या 68/83, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 3ए छोटी, पटवार हल्का रामनगर भू.अ.नि. क्षेत्र रामनगर खाता संख्या 55/62, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 3ए छोटी, पटवार हल्का रामनगर भू.अ.नि. क्षेत्र रामनगर खाता संख्या 115/117, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 3ए छोटी, पटवार हल्का रामनगर भू.अ.नि. क्षेत्र रामनगर खाता संख्या 53/58, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 3ए छोटी, पटवार हल्का रामनगर भू.अ.नि. क्षेत्र रामनगर खाता संख्या 125/122, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 3ए छोटी, पटवार हल्का रामनगर भू.अ.नि. क्षेत्र रामनगर खाता संख्या 52/59, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 3ए छोटी, पटवार हल्का रामनगर भू.अ.नि. क्षेत्र रामनगर खाता संख्या 136/129 पेश की। वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. में प्रस्तुत किया गया है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जा सकता है।

–:: आदेश ::–

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदश 12 नियम 6, आदश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को

चक सं०	खाता सं०	मु०न०	रकबा का विवरण	किसके नाम दर्ज है
3 ए छोटी	68/83	23	किला न0 25/2	दीनदयाल, धापी, बाबूराम, बालमुकन्द आदि
3 ए छोटी	69/71	22	किला नं. 23 का .126 हैक. व किला नं. 24 का 0.063 हैक.	
3 ए छोटी	67/82	23	किला न0 8,9,12,19,22	दीनदयाल, बाबूराम, विनोद कुमार आदि
3 ए छोटी	55/62	23	किला न0 1 ता 5, 10,11,20,21,25/1,	अर्जुनलाल, केदारनाथ आदि
3 ए छोटी	115/117	मु.नं.22	के किला नं.24 का 0.190 हैक.	किला नं. 25 सालम
3ए छोटी	53/58	22,23	किला न0 1/2	धापी देवी, बालमुकंद आदि

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

3 ए छोटी	125/122	22	6,15,16,17,24
3 ए छोटी	138/129	22	किला न0 22,23 सुरेन्द्र कुमार
3 ए छोटी	52/59	23	किला न0 13,14,18,23 नरेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार
		22	किला न0 21,22 धापी देवी के नाम भूमि में से वादीगण

एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

(1) वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि:

चक 3 ए छोटी के मु0 न0 23 के किला न0 21 से 25

(2) प्रतिवादीगण 1 ता 6 के कब्जा काश्त की भूमि:

चक 3 ए छोटी के मु0 न0 23 के किला न0 11 से 15

(3) प्रतिवादीगण 7 व 8 के कब्जा काश्त की भूमि:

चक 3 ए छोटी के मु0 न0 23 के किला न0 16 से 20

(4) प्रतिवादी सं0 9 ता 14 के कब्जा काश्त की भूमि:

चक 3 ए छोटी के मु0 न0 22 के किला न0 21 से 25

(6) प्रतिवादी सं0 15 के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि:

चक 3 ए छोटी के मु0 न0 23 के किला न0 1 से 5

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.02.2021 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
तहसीलदार (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner